



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012021-224268
CG-DL-E-07012021-224268

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63]

नई दिल्ली बृहस्पतिवार, जनवरी 7, 2021/पौष 17, 1942

No. 63]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 7, 2021/PAUSHA 17, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2021

का.आ. 64(अ)—यतःकेन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी सूचना स.का.आ. 2004(अ), तारीख 30 अगस्त 2012 के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में कि०मी० 0.000 से 65.870 (इन्डो नेपाल बार्डर से रूधौली मार्ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 233 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को सौंपा है।

अतः अब राष्ट्रीय राजमार्ग (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् नियम कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-233 डिजाइन कि.मी. 00.000 से 65.870 (वर्तमान कि.मी. 00.000 से 65.000) (इन्डो नेपाल बार्डर से रूधौली मार्ग) तक के खंड के प्रयोग के लिए निम्नलिखित तालिका - 1 के कॉलम-1 में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 52.147 किमी० की निविल सड़क खण्ड लम्बाई एवं 3.860 किमी० (0.386 किमी० की संरचना जिसकी लम्बाई 60 मी० से अधिक है) की समतुल्य संरचना की लम्बाई के लिए तालिका-1 के कॉलम-2 में विनिर्दिष्ट आधार दर का 60 प्रतिशत, 10.050 किमी० निविल सड़क खण्ड लम्बाई तथा 4.960 किमी (0.496 किमी० की संरचना जिसकी लम्बाई 60 मी० से अधिक है) की समतुल्य संरचना लम्बाई के लिए तालिका-1 के कॉलम-2 में

विनिर्दिष्ट आधार दर का 100 प्रतिशत, तथा 2.57 किमी० निविल सड़क खण्ड की लम्बाई वाले बाईपास, जिसकी लागत रु. 10 करोड़ या उससे अधिक है, के लिए तालिका-1 के कालम-2 में विनिर्दिष्ट आधार दर के 90 प्रतिशत की दर पर यांत्रिक वाहन से फ्रीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फ्रीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1	
वाहन के प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए फीस की प्रति कि.मी. आधार दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहुधुरीय (एमएवी) (4 से 6 धुरी वाले)	3.45
विशाल आकार के वाहन (7 या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संग्रहीत की जाने वाली फ्रीस ऐसे पथकर प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क लंबाई हेतु पथकर प्लाजा पर देय और संदेय होगी, अर्थात्:-

तालिका -2		
पथकर प्लाजाका अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है।
उत्तर प्रदेश राज्य के सिद्धार्थ नगर जिले के बेलगड़ा गाँव में एन.एच.-233 पर कि.मी. 53.630 पर विद्यमान	10.05 (बाईपास की लम्बाई (लागत 10 करोड़ या अधिक) और संरचनाओं की लंबाई (>60 मीटर) को छोड़कर))	4 लेन के लिए उक्त तालिका - 1 में उल्लिखित आधार दर का 100 प्रतिशत
	52.147 (बाईपास की लम्बाई (लागत 10 करोड़ या अधिक) और संरचनाओं की लंबाई (>60 मीटर) को छोड़कर))	2 लेन/पेव्ड शोल्डर सहित के लिए उक्त तालिका - 1 में उल्लिखित आधार दर का 60 प्रतिशत

2- उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाईपास जिसकी लागत 10 करोड़ या उससे अधिक है के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर निर्दिष्ट नेट बाईपास लम्बाई के लिए निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा।

तालिका -3						
पथकर प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाईपास का नाम	उद्गम	उद्भव	बाईपास की लागत और लम्बाई जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय है।		दर जिस पर शुल्क संदेय है।
				लम्बाई (कि०मी०)	लागत ₹0 (करोड़)	
उत्तर प्रदेश राज्य के सिद्धार्थ नगर जिले के बेलगड़ा गाँव में एन.एच.-233 पर कि.मी. 53.630 पर विद्यमान	NH-233 का नौगढ़ बाईपास	डिजाइन किमी. 22.090	डिजाइन किमी. 24.660	2.570 किमी.	13.965	2 लेन/पेव्ड शोल्डर सहित के लिए उक्त तालिका - 1 में उल्लिखित आधार दर का 90 प्रतिशत

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणाकर के राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:

तालिका -4			
पथकर प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है।
उत्तर प्रदेश राज्य के सिद्धार्थ नगर जिले के बेलगड़ा गाँव में एन.एच.-233 पर कि.मी. 53.630 पर विद्यमान	0.496 (चार लेन)	4.96	4 लेन के लिए उक्त तालिका - 1 में उल्लिखित आधार दर का 100 प्रतिशत
	0.386 (दो लेन)	3.860	2 लेन/पेव्ड शोल्डर सहित के लिए उक्त तालिका - 1 में उल्लिखित आधार दर का 60 प्रतिशत

*60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाओं के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

	चैनेज		संरचना का प्रकार	लम्बाई (कि.मी.)
	से कि०मी०	तक कि०मी०		
1.	26.000	26.496	रेल ओवर ब्रिज (चार लेन)	0.4960
2.	36.241	36.3785	मेजर ब्रिज (दो लेन)	0.1375
3.	45.298	45.5465	मेजर ब्रिज (दो लेन)	0.2485
कुल योग				0.8820

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से 20 कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2020-21 के लिए मासिक पास की दर 275.00 रु. (दो सौ पचहत्तर रुपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खंड पर बहु यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-5		
संदेय राशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एक तरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से 24 घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य शुल्क की राशि का दो तिहाई	पचास या उससे अधिक	भुगतान की तारीख से एक महीना

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का 50 प्रतिशत होगा, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा होगा उसके चालक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उपनियम 1 ए में विनिर्दिष्ट के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खंड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक की ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनो की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनो की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होगी।

9. उक्त नियमों के नियम - 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जायेगा।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007 -08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और नियमों के नियम-5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम से कम एक एक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाएगा।

11. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत रु 881.05 करोड़ है। [पूंजीगत लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जनयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किये जाने हैं। अंतिम पूंजीगत लागत अलग से अधिसूचित की जायेगी]। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वसूल किये गये प्रयोक्ता शुल्क के जरिये पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जायेगा और पूंजीगत लागत की वसूली के बाद लगाये जाने वाले शुल्क की दरों को 40 प्रतिशत कर दिया जायेगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा।

[फा. नं. - CE-RO/LKO/233/NHDP-IVA/2013-14/008]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2021

S.O. 64 (E). Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2004(E) dated 30th August 2012 issued under Section 5 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 00.000 to kilometer 65.870 (Indo Nepal border to Rudhauri section) of National Highway No.233 in the State of Uttar Pradesh to the State Government of Uttar Pradesh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at 60% of base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 52.147 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 3.860 km (having length of 0.386 km) and at 100% of base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 10.050 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 4.960 km (having length of 0.496 km) and 90% of the base rate for bypasses having length of 2.570 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Indo Nepal border to Rudhauri section from design kilometer 00.000 to kilometer 65.870 (existing km 00.000 to km 65.000) of National Highway number 233 in the State of Uttar Pradesh and authorizes the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table 2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km/Ch. 53.630 of NH-233 in Belgada village of Siddharth nagar District of Uttar Pradesh	10.050 km (Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m))	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
	52.147 km (Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m))	60% for two lane/ two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s) : -

Table 3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking off	Merging At	Length and cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in km)	Cost (in crores)	
At Km/Ch. 53.630 of NH-233 in Belgada village of Siddharth nagar district of Uttar Pradesh	Naugarh Bypass of NH - 233	Design km 22.090	Design km 24.660	2.570 km	13.965	90% for two lane/ two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10, at the base rate mentioned in Table-1 above: -

Table 4			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km/Ch. 53.630 of NH-233 in Belgada village of Siddharthnagar district of Uttar Pradesh	0.496 (4 Lane)	4.960	100% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	0.386 (2 Lane)	3.860	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details are as under: -

S. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1.	26.000	26.496	ROB (4 lane)	0.4960
2.	36.241	36.3785	Major Bridge(2 lane)	0.1375
3.	45.298	45.5465	Major Bridge (2 lane)	0.2485
			Total	0.8820

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 275.00 (Rs. Two Hundred Seventy five) for the year 2020-21 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table 5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty or more	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 881.05 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The National Highway Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. CE-RO/LKO/233/NHDP-IVA/2013-14/008]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.